रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1661] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2018/वैशाख 18, 1940
No. 1661] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2018/VAISAKHA 18, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

सं. 07/2015–2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 87 के तहत एक नई नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 1848(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 87 के अंत में एक नई नीतिगत शर्त, संख्या (10) को शामिल करती है जो निम्नानुसार हैः

(10) उपर्युक्त नीतिगत शर्त 1 और 2 [1(II) घ (IV) और 2 (II) (घ) को छोड़कर] अनुसंधान और विकास प्रयोजनों हेतु स्वचालित खनन उपकरण, कैप्टिव खानों/ऑयल रिगिंग क्षेत्रों में प्रचालन के लिए ऑयल रिगिंग उपकरणों और वाहनों के आयात के लिए लागू नहीं होगी बशर्ते कि एक बार प्रयोजन के पूरा होने पर आयातित वस्तु का पुनः निर्यात किया जाए/संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र के तहत इसे नष्ट कर दिया जाए। उपर्युक्त शर्त पुराने/प्रयुक्त और नये उपकरणों/वाहनों दोनों के लिए लागू है। इसके अलावा मोबिलाइजेशन और डिमोबिलाइजेशन प्रयोजनों को छोड़कर आयातित उपकरणों/वाहनों को सार्वजनिक सड़क पर नहीं चलाया जाएगा''

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए पुराने/प्रयुक्त और नये स्वचालित खनन उपकरणों, कैप्टिव खानों/ऑयल रिगिंग क्षेत्रों में प्रचालन के लिए ऑयल रिगिंग उपकरणों और अन्य वाहनों के आयात के लिए नीतिगत शर्त लागू की जाती है।

[फा. सं. 01/93/180/1483/एएम–03/पीसी–2(ए)/वॉल्यूम IV/ई–1868]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2018

No. 07/2015-2020

Subject : Insertion of a new policy condition under Chapter 87 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

S.O. 1848(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts a new Policy Condition, number (10) at the end of Chapter 87 of ITC (HS) 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:-

(10) Policy Condition 1 and 2 [except for 1 (II) (d) (iv) and 2 (II) (d)] above shall not be applicable for import of automotive mining equipments, oil rigging equipments for operation in captive mines/oil rigging areas and vehicles for research and development purposes subject to the condition that the imported item is re-exported/ scrapped under certification from the concerned authorities, once its purpose is served. Above condition is applicable for both old/used and new equipments/vehicles. Further these equipments/vehicles shall not ply on public roads, except for mobilization and demobilization purposes.

2. Effect of this Notification: Policy condition for import of old/used and new automotive mining equipments, oil rigging equipments for operation in captive mines/oil rigging areas and other vehicles for research and development purposes is introduced.

[F. No. 01/93/180/1483/AM-03/PC-2(A)/Vol-IV/E-1868]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.10 16:26:02 +05'30'